BSES

पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली के दो बड़े बिजली चोर दोषी करार

700 घरों को चोरी की बिजली सप्लाई करने वाले को दो साल की कैद, 57 लाख जुर्माना

नई दिल्लीः 5 सितंबर। नांगलोई इलाके के 700 घरों को अवैध बिजली नेटवर्क के माध्यम से चोरी की बिजली सप्लाई करने वाले व्यक्ति को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। द्वारका स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट ने श्री ओम प्रकाश को इस मामले में दो साल की सजा सुनाई है और 57 लाख रूपये का जुर्माना भी किया है। इस जुर्माने में फाइन और सिविल लायबिलिटी, दोनों शामिल हैं। अगर वह जुर्माने की रकम का भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें और छह महीने जेल में गुजारने होंगे।

इधर, कड़कड़डूमा स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट ने सीलमपुर निवासी श्री शिव मंगल को 30 किलोवॉट बिजली चोरी के जुर्म में दोषी करार दिया है। वह औद्योगिक कार्यों के लिए बिजली की चोरी कर रहे थे। दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर, बीएसईएस की टीम ने एक जांच के दौरान बिजली की इस चोरी का भंडाफोड़ किया था। जांच के बाद श्री शिवमंगल पर 1.24 लाख रूपये का जुर्माना किया गया, लेकिन उन्होंने इसका भुगतान नहीं किया। उसके बाद मामले का कोर्ट में ले जाया गया।

अवैध नेटवर्क चलाकर चोरी की बिजली बेचने वाला सलाखें के पीछे

बीएसईएस की बिजली चुराकर उसे अवैध नेटवर्क के माध्यम से 700 लोगों को सप्लाई करने वाले श्री ओम प्रकाश को सजा सुनाते हुए द्वारका स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट के अडिशनल सेशंस जज श्री नवनीत अरोड़ा ने कहा कि शिकायतकर्ता यानी बीएसईएस द्वारा साबित किए गए तथ्यों के मुताबिक, दोषी व्यक्ति महीने में 20 दिन अपने बिजली मीटर को बायपास कर देता था और सिर्फ 10 दिन ही मीटर के माध्यम से बिजली का इस्तेमाल करता था। मीटर के माध्यम से 10 दिन बिजली का इस्तेमाल करने पर उसे 1 लाख रूपये का बिल आता था। मतलब यह कि महीने में बाकी के 20 दिन वह बिजली की चोरी करता था।

कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि दोषी व्यक्ति शिकायतकर्ता यानी बीएसईएस को हर माह 2 लाख रूपये का नुकसान कर रहा था। आदेश के मुताबिक, एक वर्ष में उसका वास्तविक बिल 48 लाख रूपये होना चाहिए, जो कि कंपनी के एक्सचेकर के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, जिसका पूरे समाज पर बोझ पड़ता है।

आदेश में कहा गया–– मेरे विचार में यह एक आर्थिक अपराध है जहां पूरा समाज ही पीड़ित है और ईमानदार करदाता नुकसान झेल रहा है। ऐसे में, न्याय का तकाजा है कि दोषी को दो साल की सामान्य कैद की सजा सुनाई जाए।

दरअसल, बीएसईएस के अस्तित्व में आने से पहले, श्री ओम प्रकाश नांगलोई के बक्करवाला इलाके में बिजली का सिंगल पॉइंट डिस्ट्रिब्यूटर थे। उस वक्त उनका बिजली वितरण का लोड 300 किलोवॉट का था। बाद में उन्होंने गैरकानूनी तरीके से 900 किलोवॉट बिजली खींचनी शुरू कर दी और क्षेत्र के 700 लोगों के बीच उसे सप्लाई करने लगे। महीने में 20 दिन बिजली की चोरी करने के लिए उन्होंने अपने मीटर को टेंपर किया और उसमें शंट्स लगा लिए। 2007 में एक जांच के दौरान उनका यह कारनामा सामने आया। तय नियम व कानून के मुताबिक, उन पर 35 लाख का जुर्माना किया गया, लेकिन उन्होंने जुर्माने का भुगतान नहीं किया। उसके बाद, मामले को अदालत में ले जाया गया।

प्रमुख बिजली वितरण कंपनियां बीआरपीएल और बीवाईपीएल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बीच संयुक्त उद्यम हैं।